

यू.पी.एस.सी

मुख्य परीक्षा अध्ययन सामाग्री

सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र - 4

(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण,
सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन)



Published By

Develop India Group

**Develop India
Group**

● भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाएं	5	● ज्वार	27
● भारत के आर्थिक विकास में बाजार तंत्र की सीमाएं	6	● कृषि अनुसंधान केन्द्र	27
● सभी को रोजगार उपलब्ध कराना	6	● सिंचाई के विभिन्न प्रकार, एवं सिंचाई प्रणाली	28
● समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता में कमी लाना	6	● सिंचाई के साधन	28
● गरीबी निवारण	7	● तालाब	28
● आधुनिकीकरण	7	● कुएं एवं नलकूप	29
● 1951 से 1991 (आर्थिक उदारीकरण के पूर्व)	7	● नहरें	29
● 1991 के बाद (नई आर्थिक नीति के पश्चात्)	7	● कृषि गहनता	29
● आर्थिक उदारीकरण के पूर्व नियोजन	7	● कृषि उत्पादकता	30
● नई आर्थिक नीति	8	● टपक सिंचाई	30
● समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण	8	● शुष्क कृषि	30
● ढांचागत सुधार	8	● स्थानांतरित कृषि	31
● विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त परिचय	9	● जैव कृषि	31
● संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय	14	● श्वेत क्रांति	31
		● नीली क्रांति	32
● राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम-अब मनरेगा	14	● कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	32
● समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय	14	● विपणन व्यवस्था	33
● वित्तीय समावेशन	17	● भारतीय कृषि की समस्याएं	33
● सरकारी बजट	17	● किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी	34
● बजटीय प्रक्रिया	19	● एग्रिस्नेट	34
● मुख्य फसलें - देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न	20	● प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय	34
● भारत में हरित क्रांति	20		
● नयी राष्ट्रीय कृषि नीति	24	● न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य समर्थन	34
● मुख्य फसलें	24	● भारतीय खाद्य निगम की भूमिका	34
● रबी की फसल	24	● सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य	34
● खरीफ की फसल	24	● बफर स्टॉक, खुले बाजार बिक्री एवं विदेशी व्यापार के संबंध में नीतियां बनाना	34
● जायद की फसल	24		
● उत्तरी शुष्क अथवा गेहूँ प्रदेश	25	● ग्रामीण विकास एवं अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अनाज आवंटन	34
● पूर्वी तर अथवा चावल प्रदेश	25		
● पश्चिमी तर अथवा मालावार प्रदेश	25	● जन वितरण प्रणाली - उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक	36
● मोटे अनाज वाला प्रदेश	25	● तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय	36
● पी. सेन गुप्ता एवं जी.एस. दायुक के कृषि प्रदेश	25	● बफर स्टॉक	36
● हिमालय खण्ड	25	● खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय	37
● पूर्वी एवं आर्द्र तटीय खण्ड	25	● खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और गरीबी	37
● अर्ध-आर्द्र प्रदेश	25	● खाद्य सुरक्षा बिल	38
● शुष्क खण्ड	25	● नए प्रावधान	38
● हिमालय खण्ड	25	● पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र	38
● पूर्वी एवं आर्द्र तटीय खण्ड	25	● डेयरी उत्पाद	38
● अर्ध-आर्द्र प्रदेश	26	● रेशा (फाइबर)	38
● शुष्क खण्ड	26	● उर्वरक	38
● कृषि प्रदेशों में विभाजन	26	● श्रम	39
● चावल प्रधान क्षेत्र	26	● भूमि प्रबंधन	39
● चावल की फसल	26	● डेयरी कार्यकलाप	39
● गेहूँ प्रधान क्षेत्र	27	● भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग - कार्यक्षेत्र एवं महत्व,	39
● गेहूँ की फसल	27	● स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन	39
● ज्वार-बाजरा क्षेत्र	27	● भारत में भूमि सुधार	43

● जमींदारी प्रथा	43	● आनुवांशिक अभियांत्रिकी	82
● भूदान आन्दोलन	44	● क्लोनिंग	84
● उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव	44	● स्टेम सेल तकनीक	84
● औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास	45	● मानव जीनोम परियोजना (ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट)	85
● निर्गम नीति	47	● जैव-प्रौद्योगिकी का उपयोग	86
● बुनियादी ढांचा – ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि	48	● कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी का उपयोग	86
● कोयला	48	● जैवप्रौद्योगिकी का पर्यावरण में योगदान	88
● पेट्रोलियम	48	● जैव ईंधन	88
● प्राकृतिक गैस	48	● जैव प्रौद्योगिकी पार्क तथा इंक्यूबेटर्स	88
● पवन ऊर्जा	48	● जैव-प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता	89
● सौर ऊर्जा	48	● बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संदर्भ में जागरूकता	89
● लहर ऊर्जा (या तरंग ऊर्जा)	48	● संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन	90
● नदी घाटी परियोजनाएं	48	● ओजोन हित सम्बंधी समस्या व प्रयास	90
● परम्परागत ऊर्जा स्रोत	48	● ग्लोबल वार्मिंग/वैश्विक ऊष्णता	91
● गैर-परम्परागत स्रोत	48	● कोपेनहेगन सम्मेलन	92
● निवेश मॉडल	53	● पर्यावरण संरक्षण सम्बंधी महत्वपूर्ण संगठन	92
● निवेश मार्ग तथा प्रक्रियाएं	55	● प्राकृतिक संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ	92
● विज्ञान और प्रौद्योगिकी – विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव	55	● विश्व वन्य जीव कोष	92
● विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां	59	● संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम	93
● अंतरिक्ष विभाग	59	● पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग	93
● सूचना प्रौद्योगिकी	62	● जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी रिपोर्ट	93
● भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और सहसम्बन्धित तथ्य	62	● अम्लीय वर्षा	93
● आई.टी के लाभ एवं अनुप्रयोग	63	● यूरो मानक	93
● बायोइन्फॉर्मेटिक्स	63	● राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन	93
● बायोचिप के लाभ	63	● आपदा और आपदा प्रबंधन	94
● अंतरिक्ष	64	● विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध	95
● प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी (रॉकेट टेक्नोलॉजी)	64	● आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका	96
● भारत में प्रक्षेपणयान के विकास के चरण	64	● निपटने हेतु सुझाव	97
● कक्षाएं	65	● संचार नेटवर्क एवं आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क सइटों की भूमिका	97
● प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग	65	● मीडिया की भूमिका	97
● क्रायोजेनिक इंजन	65	● साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें	98
● उपग्रह प्रौद्योगिकी	66	● साइबर कानून	98
● उपग्रह के प्रकार	66	● आईटी अधिनियम 2000	98
● भारत में उपग्रह संचार प्रणाली (इनसैट)	66	● सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008	98
● मिशन चंद्रयान	70	● अधिसूचना एवं नियमावली	98
● एन्ट्रिक्स	70	● निर्णय (सीएटी)	98
● कम्प्यूटर	70	● धन शोधन और इसे रोकना	98
● कम्प्यूटर के अंग	71	● सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन	99
● कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली एवं विकास	71	● संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध	100
● कम्प्यूटर का विकास	71	● जाली मुद्रा	100
● क्वांटम कम्प्यूटिंग	73	● तस्करी	100
● सुपर कम्प्यूटर	73	● माफिया	100
● कम्प्यूटर वायरस	74	● विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश	100
● कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की पारिभाषिक शब्दावली	74		
● राबोटिक्स	79		
● नैनो टेक्नोलॉजी	79		
● नैनो तकनीकी का मूल आधार	80		
● नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग	80		
● भारत में नैनो तकनीकी	81		
● बायो टेक्नोलॉजी	82		
● कोशिका संवर्धन	82		

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाएं

औपनिवेशिक काल में आर्थिक विकास के निम्न स्तर के लिए मुख्यरूप से ब्रितानी शासकों की नीतियां जिम्मेदार थीं। उपनिवेशिक शासकों का मुख्य लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना नहीं, अपितु अपने देश के आर्थिक हितों को पूरा करना था। परिणामस्वरूप उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया जो कि उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल थे। ब्रिटेन में उत्पादित विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किया गया। परिणामस्वरूप 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2 प्रतिशत से कम एवं प्रति आय में वृद्धि आधा प्रतिशत से भी कम रह गयी।

स्वतंत्रतापूर्व भारतीय कृषि क्षेत्र गतिहीनता का शिकार था तथा इसका मुख्य कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा अपनायी गई भू-राजस्व व्यवस्था थी। भू-राजस्व व्यवस्था का लक्ष्य किसानों की दशा सुधारना नहीं अपितु अधिकतम राजस्व की प्राप्ति था। ब्रिटिश शासकों में सिंचाई, प्रौद्योगिकी विकास एवं उर्वरकों के प्रयोग आदि को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। ब्रिटिश काल में कृषि अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार विकास किया गया, उसके दो लक्ष्य थे :

1. कृषि द्वारा उपलब्ध सम्पूर्ण राजस्व की प्राप्ति।
2. औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हेतु नियत भूमिका अदा करना। इस नियत भूमिका का मतलब ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र को बाजार के रूप में विकसित करना एवं ब्रिटेन के लिए आगतों की आपूर्ति करने वाला क्षेत्र बनाना था।

इसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित बदलाव उत्पन्न हुए :

- महाजनों और जमींदारों का एक नया वर्ग जन्मा जो अंग्रेज परस्त था।
 - लगान वसूलने वाले विचौलियों का जन्म हुआ।
 - अंग्रेजों के अनुकूल काश्तकार, बटाईदार और मजदूर पैदा हुए।
 - खेती के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ठप्प हो गयी।
 - उत्पादन का स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के अनुरूप बदल गया।
 - कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, किन्तु लाभ अंग्रेजी कारखानों को मिला।
- ब्रिटिश शासकों द्वारा कृषि का व्यवसायीकरण दो उद्देश्यों से प्रेरित था। प्रथम आयातित माल का भुगतान करना, दूसरा सैनिक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना।

उद्योगों पर प्रभाव

अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारतीय औद्योगिक परिदृश्य आत्मनिर्भर प्रकृति

का था। शिल्प-कला एवं लघु कुटीर उद्योग अत्यन्त विकसित अवस्था में थे। अंग्रेजों के आगमन के परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। इसके अनेक कारण थे।

राजा महाराजाओं के पद बड़ी मात्रा में समाप्त कर दिए गए जो राज्य अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे उनके पास भी बड़ी मात्रा में संसाधन नहीं थे। फलस्वरूप भारतीय शिल्प एवं लघु कुटीर उद्योगों से निर्मित उत्पादों की मांग करने वाला एक बड़ा बाजार प्रभावित हो गया।

यही वह समय था, जब ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रान्ति की थी। भारतीय उद्योगों के हाथ से निर्मित उत्पादों को ब्रिटेन के मशीनों से निर्मित उत्पादों से प्रतियोगिता करनी पड़ी। फलस्वरूप भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का हास हुआ परिणामस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई एवं भारतीय आत्म निर्भरता समाप्त हो गई।

अंग्रेजों के आगमन का भारतीय औद्योगिक परिदृश्य पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुआ। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास प्रारम्भ हुआ इसके पीछे मुख्यरूप से दो परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। प्रथम-अंग्रेजों ने भारत में परिवहन सुविधाओं के विकास में कुछेक कारणों से रुचि ली। दूसरा- विऔद्योगीकरण के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में श्रमिक बेरोजगार हुए थे जो आधुनिक उद्योगों के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध करा रहे थे। इन दोनों ही परिस्थितियों ने पूंजीगत उद्योगों के लिए आवश्यक दशाएं बना दी थीं। 20वीं शताब्दी तक औद्योगिक विकास चार उद्योगों तक सीमित हो गया था- (1) सूती (2) पटसन (3) चाय बागान (4) कोयला। किन्तु इसे औद्योगिक क्रान्ति के लिए आधार नहीं माना जा सकता था जिसके अनेक कारण थे जैसे

1. संवृद्धि दर अत्यन्त धीमी थी और जीडीपी में योगदान अत्यन्त कम था।
2. उद्योगों का संकेन्द्रण कुछ स्थानों तक सीमित था जिससे क्षेत्रीय संतुलन बढ़ा।
3. रासायनिक, इंजीनियरिंग, धातु शोधन के उद्योगों का अभाव था। अनुसंधान और विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई थी।

विदेशी व्यापार पर प्रभाव

भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटिश हितों के अनुकूल विकसित हुआ। जिसकी विशेषता थी- भारत कच्चे उत्पाद जैसे कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक बन गया और रेशम, ऊनी वस्त्र एवं इंग्लैण्ड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों का सामान आयात की मुख्य मदें थीं। इंग्लैण्ड का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। श्रीलंका, चीन और ईरान आदि से अत्यल्प व्यापार होता रहा। भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था अर्थात् भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापार आधिक्य की स्थिति में बनी

रही, किन्तु यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद न था, क्योंकि देश के आन्तरिक भागों में आवश्यक वस्तुओं की कमी उत्पन्न हुई एवं निर्यात से होने वाले प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होती थी।

आर्थिक आयोजन की आवश्यकता

भारत पर 190 वर्षों तक अंग्रेजों द्वारा इस तरह से शासन किया गया, कि विकास की सभी सीमाएं (अवरु) हो गईं भारत के औपनिवेशिक शोषण और अल्प विकास के कारण बेरोजगारी और गरीबी जैसी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुईं। संकेत साफ है कि जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो अर्थव्यवस्था न केवल गतिहीन एवं दिशाहीन थी बल्कि उसके सामने बहुत सी समस्याएं विद्यमान थीं जिनका समाधान बहुत ही जरूरी था। बाजार तंत्र पर पूरी निर्भरता से आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं था। अतः भारत के राजनीतिक नेताओं ने शुरु से ही आर्थिक आयोजन का समर्थन किया। इस पृष्ठभूमि में भारत में 1951 में आर्थिक आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आर्थिक आयोजन की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है :

1. सीमित संसाधनों के द्वारा अनेक अवसरों हेतु निवेश आवश्यकताओं को पूरा करना।
2. देश में विद्यमान क्षेत्रीय, अन्तः-क्षेत्रीय, अन्तः औद्योगिक असमानताओं को दूर करते हुए देश का संतुलित विकास सुनिश्चित करना।
3. देश के संविधान के प्रस्तावना में निहित लोकतंत्रात्मक और समाजवादी राज्य के संकल्पना के वास्तविक अर्थों को प्राप्त करना। लोकतंत्र और समाजवाद आपस में अपने निरपेक्ष स्तर पर विरोधी अवधारणा हैं। लोकतंत्र जहां पर स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्त्व देता है, वहीं समाजवाद समानता के सिद्धान्त पर आधारित होता है। स्वतंत्रता पर बल देने के कारण लोकतंत्रात्मक समाज में निजी क्षेत्र प्रधान हो जाता है और अन्ततः बाजार आधारित व्यवस्था पर निर्भर होता है। निजी क्षेत्र लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश्य से संचालित होता है। समाजवादी राज्य में समानता पर मुख्य बल देने के कारण राज्य मुख्य उत्पादक इकाई हो जाता है जिसका लक्ष्य अधिकतम कल्याण करना होता है।
4. देश के विकास की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आयात से निर्भरता समाप्त करना और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना।
5. आज के वैश्वीकरण के युग में वैश्वीकरण ने जहां अनेक सम्भावनाएं सृजित की हैं, वहीं अनेक चुनौतियों को जन्म दिया है। हाल का वैश्विक वित्तीय संकट इसका उदाहरण है। इन चुनौतियों को कम करके उपलब्ध अवसरों का प्रयोग देश के विकास की जरूरतों के लिए करना।
6. भारत के आर्थिक विकास में बाजार तंत्र की सीमाएं।
7. विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में संसाधनों का तर्कपूर्ण आबंटन।

आर्थिक आयोजन के उद्देश्य

पिछले छः दशकों में भारतीय आर्थिक आयोजन के अलग-अलग लक्ष्य विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में घोषित किए गए, किन्तु उन सभी लक्ष्यों में भारतीय आयोजन के सामने प्रमुख रूप से छः लक्ष्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं :

1. तीव्रतर आर्थिक संवृद्धि की प्राप्ति।

2. आत्मनिर्भरतापूर्ण विकास।
3. सभी को रोजगार उपलब्ध कराना।
4. समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता में कमी लाना।
5. गरीबी निवारण।
6. आधुनिकीकरण।

1. तीव्रतर आर्थिक संवृद्धि की प्राप्ति

भारत में सभी योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य तीव्रतर आर्थिक संवृद्धि की प्राप्ति रहा है। प्रारम्भ से ही हमारे नीति निर्माताओं का यह विश्वास था कि अनेक समस्याओं का समाधान तीव्र आर्थिक संवृद्धि के माध्यम से किया जा सकता है। इसे ही 'ट्रिकल डाउन' रणनीति कहा गया। माना गया कि जैसे-जैसे आर्थिक संवृद्धि होगी अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि होगी जिससे देश में विद्यमान गरीबी को दूर किया जा सकता है एवं अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा सकती हैं।

2. आत्मनिर्भरतापूर्ण विकास

- 1951 में आर्थिक आयोजन की प्रक्रिया शुरु होने के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, विकास की जरूरतों एवं संसाधन के लिए अन्य देशों पर निर्भर थी। इस पर निर्भरता को तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है :
- एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत अपनी खाद्यान्न जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर था।
- देश में आधारभूत उद्योगों का भारी अभाव था जिसके कारण उसे बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग वस्तुएं, पूंजीगत पदार्थ, मशीनरी, विद्युत संयंत्र, परिवहन, उपकरण एवं तकनीक का आयात करना पड़ता था।
- देश में विकास के लिए अपने संसाधन नहीं थे क्योंकि बचत अत्यंत कम थी। इस कारण हमें विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता था।
- इस परनिर्भरता के परिणामस्वरूप विकसित देश मनचाही कीमत के साथ-साथ राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल भी करते थे। ब्रितानी काल का हमारा अनुभव भी यह था कि विदेशी व्यापार देश के सम्प्रभुता के लिए संकट बन सकता है।

3. सभी को रोजगार उपलब्ध कराना

गरीबी एवं बेरोजगारी के मध्य मजबूत सह-सम्बन्ध है इस बात को हमारे नीति-निर्माताओं ने समझा था। इसीलिए गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रम साथ-साथ चलाए गए।

यद्यपि प्रारम्भ से ही रोजगार सृजन को हमने मुख्य लक्ष्य माना था, किन्तु रोजगार के विकास के लिए अलग से कोई भी पृथक योजना नहीं चलाई गई। योजना आयोग का यह विचार था कि निवेश में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि स्वतः हो जायेगी। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसने निवेश के प्रकार में अन्तर नहीं किया। निवेश के द्वारा यदि पूंजी गहन उत्पादन किया जाता है तो अनुपातिक रूप से रोजगार का सृजन नहीं हो सकता है। रोजगार के सृजन के लिए श्रम-गहन उत्पादन आवश्यक है। 1977 में जनता सरकार ने इस रणनीति पर पहली बार सर्वाधिक जोर दिया।

4. समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता में कमी लाना

इस उद्देश्य को यद्यपि किसी भी पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य के रूप में घोषित नहीं किया गया, किन्तु इसका उल्लेख विभिन्न योजनाओं में

किया जाता है। योजना आयोग ने भारत में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण सामन्ती अधिकारों, भूस्वामित्व प्रणाली और सामाजिक ढांचे से जुड़े हुए विशेषाधिकारों को माना है।

आय एवं सम्पत्ति का पुनर्वितरण करना, संवृद्धि के लाभों को गरीबों तक पहुंचाना भारतीय नियोजन के मुख्य लक्ष्य थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने आय के असमानताओं के बारे में दृष्टिकोण को साफ करते हुए लिखा था कि राजकोषीय उपायों से बहुत ऊंचे स्तर पर आय में थोड़ी कमी कर पाना सम्भव है लेकिन इस पर ज्यादा जोर देने के बजाय आर्थिक विकास के द्वारा गरीब लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में समाजवादी प्रारूप वाले समाज की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया गया है। इसलिए भी असमानता में कमी लाना आवश्यक हो गया।

5. गरीबी निवारण

गरीबी निवारण को आर्थिक नियोजन में मुख्य लक्ष्य के रूप में पहली बार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। इसके पूर्व तक गरीबी निवारण को 'ट्रिकल डाउन' के माध्यम से दूर करने की योजना पर कार्य किया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से गरीबी पर सीधा प्रहार अर्थात् गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर बल दिया जाने लगा। बाद में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के साथ-साथ संपत्ति सृजन कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए गए ताकि गरीबों को स्थायी रूप से गरीबी से बाहर लाया जा सके।

6. आधुनिकीकरण

छठी योजना के दस्तावेज में आधुनिकीकरण को परिभाषित करते हुए कहा गया कि यह शब्द आर्थिक क्रिया के रूप में अनेक संस्थागत एवं ढांचागत परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। सामान्यतः तकनीकी उन्नयन इसको प्रदर्शित करता है। स्वतंत्रता के उपरान्त भारत की आयातित तकनीकी पर निर्भरता बनी हुई थी। इस निर्भरता को तोड़ने के लिए आधुनिकीकरण आवश्यक था। माना गया कि इससे उत्पादन का ढांचा बदलेगा, उत्पादक क्रियाओं में विविधता आएगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और संस्थागत परिवर्तन होंगे और इन सबसे एक सामंती उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था आधुनिक एवं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी।

भारतीय नियोजन को अध्ययन की सुविधा हेतु दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है।

1. 1951 से 1991 (आर्थिक उदारीकरण के पूर्व)।
2. 1991 के बाद (नई आर्थिक नीति के पश्चात्)।

इन दोनों चरणों का समग्र अध्ययन दोनों ही अवधियों में निर्धारित प्राथमिकताओं और उनके अनुरूप अपनाई गयी रणनीतियों के आधार पर किया जा सकता है।

आर्थिक उदारीकरण के पूर्व नियोजन

इस अवधि में नियोजन का मुख्य लक्ष्य आत्म निर्भरता की प्राप्ति एवं सामाजिक कल्याण अधिकतम करना था। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए व्यापार के प्रति संकीर्ण रवैया अपनाया गया। भारतीय उद्योगों को संरक्षित करने के लिए उच्च आयात प्रशुल्क लगाए गए एवं आयात प्रतिस्थापन रणनीति लागू की गई। घरेलू अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं की कमी को रोकने के लिए निर्यातकों के प्रति भी संकीर्ण रवैया रखा गया।

इसे संवृद्धि आधारित निर्यात एवं फेरा कानून से भी समझाया जा सकता है।

सामाजिक कल्याण बढ़ाने के लिए एवं समतापूर्ण समाज के स्थापना के लिए सरकार ने उत्पादन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। 1956 की औद्योगिक नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था एवं एमआरटीपी अधिनियम इसी संदर्भ में लाए गए।

विकास के लिए मजबूत आधार किया गया। पूंजीगत उपकरणों तथा दूसरे आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया। आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया। इसके पश्चात् कृषि विकास जनित संवृद्धि को अपनाया गया। आर्थिक उदारीकरण के पूर्व नियोजन को निम्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के प्रमुख उद्देश्य :

1. कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता।
2. संतुलित विकास करना।
3. देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को कम करना।
4. लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना तथा औद्योगीकरण के लिए आधार उत्पन्न करना।
5. न्यूनतम अवधि में खाद्यान्न सम्बंधी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-57 से 1960-61) के प्रमुख उद्देश्य

:

1. तीव्र औद्योगीकरण के लिए भारी एवं आधारभूत उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता।
2. राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि करना।
3. रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
4. आर्थिक विकास का समान विवरण करना।
5. आय और परिसंपत्ति के बंटवारे की विषमता को कम करना।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) के प्रमुख उद्देश्य

:

1. मुख्य उद्देश्य – सतत् विकास की दिशा में सुनिश्चित प्रगति की स्थिति प्राप्त करना।
2. तत्कालिक लक्ष्य:
 - राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्राप्त करना।
 - खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
 - उद्योगों और निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना।
 - इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली जैसे बुनियादी उद्योगों का विस्तार।
 - मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना।
 - मानव संसाधन का संपूर्ण प्रयोग तथा रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना।
 - समानता के बेहतर अवसरों का विकास तथा आय एवं परिसंपत्ति के अंतर को घटाना।

वार्षिक योजनाएं

1965 में भारत-पाक युद्ध, 2 वर्ष तक लगातार सूखा पड़ने, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ते, मुद्रा के अवमूल्यन तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण 1966 से 1969 के मध्य चौथी योजना के प्रारूप के अन्तर्गत वार्षिक योजनाएं निर्मित की गईं।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के प्रमुख उद्देश्य :

1. कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव की स्थिति को सुधारना
2. समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।
3. संतुलित विकास पर जोर।
4. तीव्र गति से औद्योगिक विकास तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) के प्रमुख उद्देश्य :

1. गरीबी उन्मूलन एवं आत्म निर्भरता की प्राप्ति पर मुख्य बल।
2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों की शुरुआत।
3. न्यायपूर्ण मजदूरी - कीमत नीति।
4. आर्थिक - सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानता को दूर करना।
5. आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्द्धन की नीति को अपनाना।
6. खाद्यान्न भण्डार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रमुख उद्देश्य :

1. सर्वप्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करना।
2. कृषि और उद्योग दोनों के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना।
3. ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत करना।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के प्रमुख उद्देश्य :

1. अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करना।
2. रोजगार के अवसरों और उत्पादकता का विकास करना।
3. साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणालीकी स्थापना करना।
4. ऊर्जा संरक्षण तथा गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना।
5. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण।

नई आर्थिक नीति

वर्ष 1991 से वर्तमान समय तक समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण तथा ढांचागत सुधार के संदर्भ में किए गए प्रयास ही नई आर्थिक नीति का पर्याय है। 1991 में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि तत्कालीन आर्थिक संकट अकस्मात् ही उत्पन्न हो गया हो। इस आर्थिक संकट को उत्पन्न करने में निम्न कारक महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार रहे :

1. **राजकोषीय असंतुलन** : केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा जहां 1980-81 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.7 प्रतिशत था, वही 1990-91 में यह बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय असंतुलन की यह स्थिति 1980 के दशक में सरकार के गैर - विकास व्यय (ब्याज भुगतान) में लगातार वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई।
2. **भुगतान संतुलन की कमजोर स्थिति** : 1980-81 में जहां भुगतान संतुलन के चालू खाते में खाता 2.1 अरब डॉलर था, वहीं दूसरी ओर यह 1990-91 में 9.7 अरब डॉलर हो गया। 1991 का खाड़ी संकट, अल्पकालिक विदेशी ऋण का पलायन और अनिवासी भारतीयों द्वारा अपनी जमाराशी वापस ले जाने की प्रवृत्ति ने भुगतान असंतुलन की स्थिति को उत्पन्न किया।

3. **बढ़ती हुई मुद्रास्फीति** : 1990-91 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 11.2 प्रतिशत तथा थोक मूल्य के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 10.3 प्रतिशत हो गई। तत्कालीन मुद्रास्फीति का सम्बंध बजट घाटों के मुद्रीकरण तथा मुद्रा की पूर्ति में अत्यधिक विस्तार से था।

उपर्युक्त कारकों के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय विश्वास तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में भारत के साख में कमी आई। अतः सरकार ने 1990-91 के आर्थिक संकट से निपटने के लिए आर्थिक सुधारों के तहत समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण तथा ढांचागत सुधारों का निर्णय लिया।

समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण

समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण का प्रमुख उद्देश्य अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करना था। इसका लक्ष्य मांग प्रबंधन से है। इसके तहत निम्न कदम उठाए गए:

1. **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण** : मौद्रिक और राजकोषीय अनुशासन तथा उत्पादन एवं आपूर्ति की स्थितियों में सुधार द्वारा मुद्रास्फीति की निम्न एवं स्थिर दर प्राप्त की गई। 1990-91 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10 प्रतिशत से घटकर जनवरी 1996 में 5 प्रतिशत जबकि 2001-02 में यह 1.6 प्रतिशत हो गई।
2. **राजकोषीय संतुलन स्थापित करना** : राजकोषीय समायोजन के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा राजकोषीय संतुलन स्थापित किया गया। सरकारी व्यय पर रोक लगाने पर बल दिया गया। राजस्व बढ़ाने के लिए कर की दरों में कमी लाई गई। अधिकाधिक लोगों को कर के दायरे में लाकर कर-आधार बढ़ाने पर बल दिया गया। कर-उदग्रहण प्रणाली को पारदर्शी, सक्षम और व्यापक आधारित बनाने पर बल दिया गया। परंतु यह भी ध्यान रखा गया कि सरकारी व्यय की इस कमी से आधारिक संरचना और बुनियादी सामाजिक क्षेत्र के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय में कमी न आए।
3. **भुगतान संतुलन में समायोजन** : इसके तहत जुलाई 1991 में रुपये का लगभग 18-19 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। 1993-94 में व्यापार खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता तथा 1994-95 में चालू खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू की गई। निर्यात संवर्धन पर बल दिया गया। उपयुक्त विनिमय दर को अपनाया गया। सरकार ने विदेशी व्यापार पर लगाए गए पुराने प्रतिबंधों को समाप्त किया। विदेशी व्यापार को विकास के इंजन के रूप में देखा गया।

ढांचागत सुधार

भारतीय अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष को ठीक करने के लिए जुलाई 1991 से व्यापक ढांचागत सुधार लागू किए गए। ढांचागत सुधारों में निम्न सुधारों को सम्मिलित किया जाता है :

1. पूंजी प्रवाह एवं व्यापार सुधार

- जुलाई 1991 में रुपये का अवमूल्यन।
- रुपये का व्यापार खाते एवं चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता।
- आयातों का उदारीकरण
- सीमाशुल्क दरों में कमी
- निर्यात उन्मुख इकाइयों की स्थापना
- सेवा क्षेत्र के लिए पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन योजना को लागू करना

- विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कंपनियों और इससे भारतीय कंपनियों को परिचालन दृष्टि से समान स्तर पर ले जाना।
- 51 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी भागीदारी और ऊंची प्राथमिकता वाले 48 उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग का स्वतः अनुमोदन।
- 2. **औद्योगिक नियंत्रण की समाप्ति** : औद्योगिक लाइसेंसिंग, विभिन्न औद्योगिक उत्पादों पर मूल्य एवं वितरण सम्बंधी नियंत्रण तथा लघु क्षेत्रों के लिए उद्योगों का आरक्षण जैसे भौतिक नियंत्रणों को समाप्त किया गया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 3 कर दी गई।
- 3. **सार्वजनिक क्षेत्रक सुधार** : इसके अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों को ज्यादा प्रबन्धकीय स्वायत्तता, चुनिंदा उद्योगों में निजी क्षेत्र को आंशिक रूप से ईक्विटी निवेश से समर्पित करना, सार्वजनिक उद्योगों का विनिवेश जैसे कदम उठाए गए।
- 4. **वित्तीय क्षेत्रक सुधार** : इसके अंतर्गत वैधानिक तरलता अनुपात और नकद कोष अनुपात को कम करना, बेसल समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप न्यूनतम पूंजी मानदण्डों को अपनाना, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण, विवेकपूर्ण लेखा मानकों को अपनाने वाले बैंकों को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना शाखा खोलने का अधिकार देना, रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र में बैंक खोलने के लिए निर्देशक सिद्धांतों की घोषणा, बैंकों के ब्याज पर ढांचे को एकीकृत करना, रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के अधीन वित्तीय नियंत्रण हेतु एक अलग बोर्ड की स्थापना, अधिकतम अनुदेय बैंक वित्त के निर्धारण के लिए निर्देशित सिद्धांतों को अधिक लोचपूर्ण बनाना इत्यादि जैसे सुधार किए गए।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त परिचय

पहली पंचवर्षीय योजना

1951 में बड़े पैमाने पर अनाजों के आयात और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए पहली योजना (1951 से 1956) में सिंचाई और बिजली के साथ-साथ कृषि सम्बंधी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित 2069 करोड़ रुपए में से (जिसे बाद में बढ़ाकर 2378 करोड़ रुपए कर दिया गया) 44.6 प्रतिशत रखा गया। पहली योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के पांच से सात प्रतिशत तक पूंजी निवेश की दर को बढ़ाना था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-57 से 1960-61) में विकास की एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देने की कोशिश की गई जिससे देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सकें।

इसके मुख्य उद्देश्य

- राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना।
- बुनियादी तथा भारी उद्योगों के विकास पर जोर देते हुए तीव्र औद्योगीकरण
- रोजगार के अवसरों को बड़े पैमाने पर बढ़ाना तथा
- आय एवं संपत्ति में असमानता घटाना और आर्थिक शक्ति का बेहतर बंटवारा था। दूसरी योजना का लक्ष्य निवेश की दर को 1960-61 तक सात प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत करना भी था।

इसमें औद्योगीकरण, लोहा और इस्पात, नाइट्रोजन उर्वरकों सहित खेती में काम आने वाले रसायनों का उत्पादन बढ़ाने तथा भारी इंजीनियरी और मशीन निर्माण उद्योग का विकास करना तय हुआ।

तीसरी योजना

- तीसरी योजना (1961-62 से 1965-66) का लक्ष्य सतत विकास की दिशा में सुनिश्चित प्रगति की स्थिति हासिल करना था। इसके तात्कालिक लक्ष्य थे :
 - राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हासिल करना तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना कि आगे की योजनाओं में यह विकास दर बनी रहे
 - खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा उद्योगों और निर्यात की जरूरतों को पूरा करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना
 - बुनियादी उद्योगों को विस्तार जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र का, तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना ताकि भविष्य में दस साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगीकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
 - मानव संसाधन का पूरी तरह उपयोग तथा रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना और
 - समानता के बेहतर अवसरों का विकास तथा आय और संपत्ति के मामले में फर्क घटाना, साथ ही धन के समान वितरण की बेहतर व्यवस्था करना। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 1960-61 के 14,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1965-66 तक 19,000 करोड़ करना था तथा प्रतिव्यक्ति आय को 17 प्रतिशत बढ़ाकर इस दौरान 330 से रुपए 386 तक पहुंचाना था।

वार्षिक पंचवर्षीय योजनाएं

1965 में भारत-पाक युद्ध के कारण, दो साल तक लगातार सूखा पड़ने के कारण, मुद्रा के अवमूल्यन के कारण, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप में देने में विलंब हुआ। इसलिए 1966 से 1969 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के अंतर्गत तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गईं।

चौथी योजना

चौथी योजना (1969-74) का उद्देश्य कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव की स्थिति को सुधारते हुए तथा विदेशी सहायता में अनिश्चितता की स्थिति को दूर करते हुए विकास की गति को बढ़ाना था। इस दौर में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के जरिए जीवन स्तर को उठाने की कोशिश की गई। इस योजना में विशेषरूप से रोजगार और शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से समाज के पिछड़े और दुर्बल वर्ग की स्थिति में सुधार पर ध्यान दिया गया। इस दिशा में किए गए प्रयास समानता बढ़ाने के लिए संपत्ति आय तथा आर्थिक शक्ति के एक स्थान पर एकत्र हो जाने को रोकने हेतु किए गए।

योजना का एक उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद को (1968-69 की दर पर) 1969-70 में 29,071 करोड़ से बढ़ाकर 1973-74 में 38,306 करोड़ रुपए तक पहुंचाना था। औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.7 प्रतिशत तय किया गया।

पांचवीं योजना

पांचवीं योजना (1974–79) भावी मुद्रा स्फीति के दबाव में बनाई गई। इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य आत्मनिर्भरता हासिल करना और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की उपभोग की क्षमता को बढ़ाना था। इसमें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता हासिल करने को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। इसका एक उद्देश्य राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की दर हासिल करना भी था। पांचवीं योजना अवधि की चार वार्षिक योजनाओं को इस दौरान पूरा किया गया। इसके साथ यह भी तय किया गया कि पांचवीं योजना को 1978–79 की वार्षिक योजना को पूरा करने के साथ ही समाप्त कर दिया जाए।

छठी पंचवर्षीय योजना

छठी योजना (1980–85) का सर्वप्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करना था। रणनीति यह तय की गई कि एक ही साथ कृषि और उद्योग दोनों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। इस बात पर बल दिया गया कि सभी क्षेत्रों में बेहतर व्यवस्था, कार्यक्षमता और सघन निगरानी के जरिए व्यवस्थित तरीके से परस्पर जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसके साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी से स्थानीय स्तर पर विकास की विशेष परियोजनाएं तैयार की जाएं तथा तेजी से और प्रभावी ढंग से उन्हें पूरा किया जाए।

छठी योजना का वास्तविक खर्च 1,09,291.7 करोड़ रुपए (वर्तमान दर पर) रहा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का योजनागत खर्च (1979–80 की दर पर 97,500 करोड़ रुपए रहा अर्थात् 12 प्रतिशत की वृद्धि। इस योजना में औसत वार्षिक विकास दर 5.2 प्रतिशत तय की गई थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

सातवीं योजना में (1985–90) नीतियों और कार्यक्रमों पर बल दिया गया। इसका लक्ष्य अनाजों के उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों और उत्पादकता का विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं के तहत विकास करना था। सातवीं योजना के दौरान अनाजों के उत्पादन में 3.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1967–68 से 1988–89 तक यह 2.68 प्रतिशत रही थी और आठवें दशक में यह 2.55 प्रतिशत रही थी। इसका कारण अच्छा मौसम, विभिन्न प्रमुख निर्धारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा सरकार और किसानों का समन्वित प्रयास रहा। बेरोजगारी और साथ ही गरीबी दूर करने के लिए पहले से चल रहे कार्यक्रमों के अलावा जवाहर रोजगार योजना जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। लघु एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उचित महत्त्व दिया गया। पूरी सातवीं योजना के दौरान कुल खर्च (वर्तमान दर पर) 2,18,729.62 करोड़ रुपए पड़ा अर्थात् पहले से 21.52 प्रतिशत ज्यादा। इस योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 5.8 प्रतिशत की औसत दर हासिल हुई अर्थात् निर्धारित लक्ष्य से 0.8 प्रतिशत ज्यादा।

वार्षिक योजनाएं

केंद्र में तेजी से बदलते राजनीतिक परिस्थिति के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) समय पर शुरू नहीं हो सकी। जून 1991 में बनी केंद्रीय सरकार ने तय किया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1992 से शुरू होगी और 1990–91 तथा 1991–92 के लिए अलग वार्षिक योजनाएं

स्वीकार की जाएंगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) के दृष्टिगत तैयार की गई इन वार्षिक योजनाओं में मुख्य रूप से अधिकतम रोजगार प्रदान करने और सामाजिक स्थानांतरण पर बल दिया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) ढांचागत समायोजन की नीतियों और बड़े पैमाने पर स्थिरीकरण की नीतियों को शुरू करने के तुरंत बाद चालू की गई। इन नीतियों की जरूरत 1990–91 के दौरान भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति की बिगड़ती स्थिति के कारण पड़ी थी। विभिन्न ढांचागत समायोजन की नीति को क्रमशः इसलिए लागू किया गया कि अर्थव्यवस्था को विकास के एक बेहतर रास्ते पर लाया जा सके और उसे मजबूत किया जा सके ताकि भविष्य में भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति के संकट से बचा जा सके। आठवीं योजना में उन नीतिगत परिवर्तनों पर भी ध्यान दिया गया जो इन सुधारों की वजह से आने वाले थे। योजना का लक्ष्य औसतन 5.6 प्रतिशत विकास दर और 7.5 प्रतिशत औद्योगिक विकास दर हासिल करना था। विकास के ये लक्ष्य कीमतों में स्थिरता और देश के भुगतान संतुलन में पर्याप्त सुधार के साथ हासिल करने थे।

आठवीं योजना की आर्थिक गतिविधि की कुछ विशेषताएं अन्य बातों के अलावा इस प्रकार रहीं (क) बेहतर आर्थिक विकास, (ख) निर्माण, कृषि और सम्ब) क्षेत्रों का बेहतर विकास और (ग) आयात-निर्यात में उल्लेखनीय विकास दर, व्यापार और चालू खाते के घाटे में सुधार और केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे में उल्लेखनीय कमी। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विभिन्न विभागों द्वारा आंतरिक और गैर बजटीय संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने से केंद्रीय क्षेत्र में खर्च कम हुआ। राज्य के क्षेत्र में खर्च कम किए जाने की वजहें राजस्व संतुलन की खराब स्थिति के कारण संसाधन नहीं जुटा पाना, राज्य बिजली बोर्डों और परिवहन निगमों का अंशदान नहीं होना, घाटे का बजट, गैर योजनागत खर्चों का बढ़ते जाना तथा अल्प बचतों की उगाही में कमी आदि रहीं।

आठवीं योजना का कुल खर्च 4,95,669 करोड़ रुपए (1996–97 को आधार वर्ष मानते हुए) वर्तमान दर पर रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का (1991–92 की कीमतों के आधार पर) खर्च 4,34,100 करोड़ रुपए रहा। इस योजना के दौरान औसत वार्षिक विकास दर 5.6 प्रतिशत हासिल की जानी थी, जबकि 6.68 प्रतिशत हासिल की गई।

नौवीं पंचवर्षीय योजना

नौवीं योजना (1997–2002) देश की आजादी के पचासवें वर्ष में शुरू हुई। योजना का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर प्रतिवर्ष सात प्रतिशत हासिल करना था। इसमें सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर बल देना तय हुआ था। इन सेवाओं के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया था ताकि समयबद्ध तरीके से संपूर्ण आबादी को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। इन सेवाओं में शुद्ध पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता, सबके लिए प्राथमिक शिक्षा, गरीबों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांवों और बस्तियों के लिए सड़क तथा गरीबों के सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी घाटे का पर्याप्त कम किया जा सके। इसके लिए राजस्व की बेहतर, उगाही, आवश्यक खर्चों पर नियंत्रण जैसे उपाय